राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक : ई33 / ले.टे / (एफ–673) / 2018 / दिनांक :

आदेश

श्री राजेश धारू, लैब टेक्नीशियन स्थानान्तरणाधीन ने प्रर्थाना पत्र दिनांक 26.09.2018 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 524 / 2018(जोधपुर दर्ज) में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2018 की प्रति संलग्न कर आदेश की पालना में आलौच्य आदेश दिनांक 29.06.2018 अपास्त करने की कृपा कर कार्यग्रहण कराने बाबत् निवेदन किया है।

निदेशालय के आदेश क्रमांक 597 दिनांक 29.06.2018 के क्रम संख्या 31 पर अंकितानुसार द्वारा श्री राजेश धारू, लैब टेक्नीशियन का स्थानान्तरण नाहटा चिकित्सालय बालोतरा, बाडमेर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जयसिंधर गांव, बाडमेर में किया गया है।

उक्त आदेश के विरूद्व याचि द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 524 / 2018 दायर की जिसमें राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2018 निम्नानुसार है:–

"अपीलार्थी दिनांक 07.09.2018 तक प्रत्यार्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 25.09.2018 तक एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे "

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पत्नी Osteoprosis की बीमारी से पीड़ित है जिसमें वह चल व फिरने में असमर्थ है बल्कि सारा दिन बिस्तर पर व्यतीत कर रही है तथा खाना पीना उनको उनके बिस्तर पर ही दिया तथा रोजमर्रा के कार्य भी उनके बिस्तर पर ही करवाया जाता है इनकी देखभाल अपीलार्थी / प्रार्थी के स्वयं द्वारा की जाती है। अपीलार्थी / प्रार्थी अपनी पारिवारिक परिस्थितियों का उल्लेख किया है। अपीलार्थी ने अपने अभ्यावेदन के साथ पत्नी के बीमारी से संबंधित ईलाज के दस्तावेज एवं बीमार पत्नी की फोटो भी संलग्न की है।

अतः अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थितियों के मध्यनजर एवं राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2018 की पालना में याचि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को एतद् द्वारा स्वीकर किया जाकर निदेशालय के आदेश क्रमांक 597 दिनांक 29.06.2018 के क्रम संख्या 31 पर अंकित श्री राजेश धारू, लैब टेक्नीशियन का नाहटा चिकित्सालय बालोतरा, बाडमेर मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जयसिंधर गांव, बाडमेर किया गया स्थानान्तरण / पदस्थापन एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है, फलस्वरूप अपीलार्थी श्री राजेश धारू, लैब टेक्नीशियन पूर्व की भांति नाहटा चिकित्सालय बालोतरा, बाडमेर में लैब टेक्नीशियन के रिक्त पद पर पदस्थापित रहेगें।

-Sd-

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई33 / ले.टे / (एफ–673) / 2018 / 589 दिनांक : 22-10-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) राजस्थान, जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय,
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जोधपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
8. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा (बाडमेर)
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जयसिंधर गांव (बाडमेर)।
10. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
11. श्री राजेश धारू, लैब टेक्नीशियन को पालनार्थ।
12. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर